

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/बी०डी०एस०- 11/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० अनामिका सिन्हा, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खगौल, दानापुर के द्वारा दिनांक-16.12.2024 से 16.04.2025 तक कुल-122 (एक सौ बाइस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-729(25), दिनांक-02.04.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० अनामिका सिन्हा को 608 (छः सौ आठ) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/बी०डी०एस०- 11/2024- 06(2) पटना, दिनांक 05/01/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खगौल, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० अनामिका सिन्हा, दन्त चिकित्सक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खगौल, दानापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Wd/mnK 01/01/25
सरकार के उप सचिव